# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस**

अपील सं0 2019/00499 (149/2019) 223 आरटीएक्ट

अनिता स्वामी पुत्री मंजूदेवी एवं कन्हैयालाल पौत्री लिच्छीराम पत्नी अनिल कुमार जाति स्वामी वार्ड नं. 18, भादरा जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. मुकेश कुमार पुत्र गौरीशंकर पौत्र महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. कौशल्या देवी पत्नी गौरी शंकर पुत्र वधु महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. रूपादेवी पुत्री गौरीशंकर पत्नी विनोद जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. आशा देवी पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी राजेन्द्र जाति खत्री निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल निवासी वार्ड नं. 18 पुराना राजगढ तहसील राजगढ जिला चुरू।
6. सावित्री पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी बजरंग जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल निवासी वार्ड नं. 18 पुराना राजगढ तहसील राजगढ जिला चुरू।
7. जयदेव पुत्र मंजू देवी पत्नी कन्हैयालाल जाति स्वामी निवासी वार्ड नं0 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. वेद प्रकाश पुत्र कन्हैयालाल पुत्र लिच्छीराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
9. पुष्पादेवी पत्नी मनीराम पुत्री महावीर जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. बाधो देवी पत्नी रूघवीर पुत्री महावीर जाति स्वामी निवासी हाथीपुराबास, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
12. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा भादरा (समेकित भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मूर्ती चौक) भादरा।

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय निर्णय एवं डिक्री [illegible] कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0स0 74[illegible] आदि बनाम सरकार

श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता अपी[illegible]

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 स0 1 ता 6, 9 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्र[illegible]
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

श्री रविन्द्र भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 11

निर्णय

दिनांक:– 05.11.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण गौरीशंकर एवं महेन्द्र कुमार ने एक वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। वाद पत्र में अंकित भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा जमाबन्दी दुरूस्त कर इसी कदर रेवेन्यू रिकार्ड में महावीर प्रसाद वल्द तिलोकचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी अपीलाण्टा के नाना महावीर प्रसाद के नाम दर्ज थी जो विरासतन सम्पति है जिसमें अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का समान हक व हिस्सा निहित है। रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अर्जीदावा में अपीलाण्टा व अन्य रेस्पोडेण्ट को पक्षकार बनाये बिना ही चोरी छिपे प्रश्नगत आराजी की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली है। सजरा खानदान को छुपाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है, जो प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। मौका व रिकार्ड तथा दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। महावीर प्रसाद की मृत्यु के बाद उसके समस्त वारिसान का समान हक व हिस्सा था परन्तु रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट को पक्षकार नही बनाया व चूंकि अपीलाण्टा की माता का देहान्त हो चुका है उक्त विरास्तन सम्पति में अपीलाण्ट के नाना द्वारा उक्त सम्पति में से समान हिस्सा में भूमि घरू बंटवारा में दे रखी थी जस पर अपीलाण्टा अपने हक हिस्सा की भूमि में अपनी माता की मृत्यु के बाद काश्त करती आ रही थी। इसलिए अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। जिसके लिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। माता के हक हिस्सा की भूमि ठेके आदि पर लेकर काश्त करती आ रही है व माता की मृत्यु के बाद अपने हक हिस्सा की भूमि की खुद काश्त करने के लिए दिनांक 06.07.2019 को रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्टा को कब्जा काश्त की भूमि का कब्जा लेने के लिए आये और धमकी दी कि उक्त भूमि से कब्जा खाली कर दो ... उक्त भूमि हमारे नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है तब अपीलाण्ट ... में जानकारी प्राप्त कर नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत ... अन्दर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी, धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र एवं अपील स्वीकार की फरमाई जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 6 व 9 से 10 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। ग्राम भादरा के खाता संख्या 46 के ख0 नं0 5 के किला नं. 24 की 18 बिस्वा किला नं. 25 की 1 किला, ख0 नं0 6 के किला नं. 11, 12, 19 से 22 की 6 किला, ख0 नं0 10 के किला नं. 1, 2, 9, 10, 11 की 5 किला कुल 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि यानि 3.239 है0 भूमि वादीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि जो पुराने ख0 नं0 144 में दर्ज थी जो सन 1957 में इन्तकाल 504 के जरिये वादीगण के पिता महावीर प्रसाद के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। परन्तु इन्तकाल दर्ज हो जाने के बाद भी तस्दीक करते समय मु0 नं0 5 के किला नं. 24 की 18 बिस्वा व मु0 नं0 25 की 1 बीघा व मु0 नं0 10 की 9, 10, 11 कुल 4 किला 18 बिस्वा कषि भूमि सहवन से आराजी राज दर्ज हो गई। पुनः जांच कर दर्ज करने पर भी नायब तहसीलदार ने वरवक्त तस्दीक मु0 नं0 10 के किला नं. 11 में आदेश पारित नहीं किया जबकि इन्तकाल में पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षण ने स्पष्ट रूप से उक्त रकबा का अंकन किया है। रेस्पोडेण्ट प्रश्नगत आराजी को अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी थे। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.07.2007 को पारित किया गया था तथा अपील दिनांक 05.08.2019 को प्रस्तुत की है। विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है। अपीलाण्ट की माता ने कभी भी इस अपीलाधीन निर्णय के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की थी। विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का समुचित कारण नही बताया है। अपनी माता के देहान्त के उपरान्त अपने पूर्वजों के जीवन काल की प्रविष्टियों को अपीलाण्ट चुनौती देने के हकदार नहीं है। अपीलाण्ट किसी भी श्रेणी आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार नहीं है। इसलिए अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने का हक नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2008 (1) पेज 12 का न्यायिक दृष्टान्त पेश करते हुए अपील अपीलाण्ट खारिज करने का कथन किया।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्त ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रश्नगत भूमि वादीगण के पिता की खातेदारी भूमि थी जो इंतकाल से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई पुनः जांच कर दर्ज करने पर भी नायब तहसीलदार ने वरवक्त तस्दीक मु0 नं0 10 के किला नं. 11 के बारे में आदेश पारित नहीं किया जबकि इंतकाल में पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक ने स्पष्ट रूप से प्रश्नगत रकबा का अंकन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पटवारी ने नामान्तरण पंजिका सं0 12/1 में मु0 10 के किला नं. 11 का इन्द्राज कर दिया परन्तु तहसीलदार के आदेश में अंकन नही है जिसे सहवन से छूटना ही माना जावेगा अन्य कोई कारण होता तो नायब तहसीलदार अंकन करता। प्रश्नगत भूमि इन्तकाल सं0 504 सन 1957 से खातेदारी हो गई और पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.03.2007 जो तहसीलदार को प्रस्तुत है एवं तहसीलदार ने उक्त रिपोर्ट दिनांक 28.03.2007 को प्रेषित की के अनुसार वाद भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है, उक्त तथ्यों के आधार पर विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए जमाबंदी दुरूस्त कर वादीगण का नाम बतौर खातेदार खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिनांक 09.07.2007 को दिये हैं। अपीलाण्ट ने अपील प्रश्नगत भूमि अपने नाना की पैतृक भूमि होने के कारण उसका पुस्तैनी हक हिस्सा होने का कथन किया। इस अपीलाधीन आदेश को अपीलाण्ट की माता ने अपने जीवन काल में कभी भी चुनौती नहीं दी तथा अपील अपीलाण्ट ने 05.08.2019 को प्रस्तुत की है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2008 (1) पेज 12 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पूर्वजों के स्वयं के जीवनकाल में प्रविष्टियों को चुनौती नही दी जा सकती। इस प्रकरण में भी अपीलाण्ट की माता ने अपने जीवन काल में हुई प्रविष्टियों को चुनौती नही दी है। उक्त तथ्यों के अनुसार अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। लिहाजा अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अपनी माता के देहान्त के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी होने के बाद अपीलाण्ट ने यह अपील लगभग 12 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। विलम्ब का समुचित कारण कथित नहीं किया है। लिहाजा अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाते हैं एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2007 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 05.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:58 IST
Reason: SelfAttested

(करार सिंह पूनीया आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़।

Scanned with CamScanner

# डिक्री

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस.

अपील सं0 2019/00499 (149/2019) 223 आरटीएक्ट

अनिता स्वामी पुत्री मंजूदेवी एवं कन्हैयालाल पौत्री लिच्छीराम पत्नी अनिल कुमार जाति स्वामी वार्ड नं. 18, भादरा जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. मुकेश कुमार पुत्र गौरीशंकर पौत्र महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. कौशल्या देवी पत्नी गौरी शंकर पुत्र वधु महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. रूपादेवी पुत्री गौरीशंकर पत्नी विनोद जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. आशा देवी पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी राजेन्द्र जाति खत्री निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल निवासी वार्ड नं. 18 पुराना राजगढ तहसील राजगढ जिला चुरू।
6. सावित्री पुत्री महावीर प्रसाद पत्नी बजरंग जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल निवासी वार्ड नं. 18 पुराना राजगढ तहसील राजगढ जिला चुरू।
7. जयदेव पुत्र मंजू देवी पत्नी कन्हैयालाल जाति स्वामी निवासी वार्ड नं0 18 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. वेद प्रकाश पुत्र कन्हैयालाल पुत्र लिच्छीराम जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
9. पुष्पादेवी पत्नी मनीराम पुत्री महावीर जाति स्वामी निवासी वार्ड नं. 18, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. बाधो देवी पत्नी रूघवीर पुत्री महावीर जाति स्वामी निवासी हाथीपुराबास, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
12. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा भादरा (समेकित भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मूर्ती चौक) भादरा। –रेस्पोडेण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:58 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध निर्णय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2007 [illegible] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0स0 74/2006 [illegible] गौरीशंकर आदि बनाम सरकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Scanned with CamScanner

रूबरू श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 6, 9 व 10, श्री रविन्द्र भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 11 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाते हैं एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2007 यथावत रखा जाता है।

डिक्री आज दिनांक 05.11.2020 को मेरे हस्ताक्षरों से जारी की गई।

(करतार सिंह पूनीयाँ आर..ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner